समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हर्सिट
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय–भवन
इंदौर–252001

क्रमांक.संविक/शिकायतनिवारण समिति/2018–19/1542 दिनांक: 07 AUG 2018

प्रति,

1/ प्राचार्य /प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला–इन्दौर,धार,झाबुआ,खण्डवा,खरगोन,बड़वानी,बुरहानपुर,अलीराजपुर।

2/ विभागाध्यक्ष/निदेशक/चीफ वार्डन
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर।

विषयः– महाविद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठन करने विषयक।
संदर्भः– भारत का राजपत्र, सप्ताहिक प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली,शनिवार,मार्च 23–मार्च 29,2013(चैत्र)

महोदय/महोदया,

उरोक्त विषयांतगर्त संबद्ध समस्त महाविद्यालय/अध्ययनशाला को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रालय,भोपाल में आयोजित अन्वेषण समिति की बैठक में दिये गये पैनल में से चयनीत एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956(3:1956) के अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में भारत का राजपत्र नई दिल्ली की उप कंडिका (ट)(1) तथा मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय से प्राप्त पत्र कमांक **F/-6/2017/38-3** भोपाल,दिनांकः26/12/2017 के पालनार्थ कार्यालयीन आदेश कमांक/प्रशासन/लोकपाल नियुक्ति/2018/441 दिनांकः25.07.2018 के अनुसार मान्नीय श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी,सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मा. लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मान्नीय लोकपाल एवं शिकायत निवारण समिति के माध्यम से शिकायत निवारण की विधि के प्रमुख बिन्दू निम्नानुसार हैः–

1. प्रत्येक संस्थान ऐसी एक रजिष्ट्री स्थापित करेगा जहां पर कोई भी दुखी छात्र अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए आवेदन कर सकता है। तथा जिसका नेतृत्व उस संस्थान का उचित श्रेणी वाला कर्मचारी करेगा। उसके बारे में लोकपाल फैसला करेंगे।
2. इस प्रकार से स्थापित रजिष्ट्री का पता बड़े–बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया जायेगा। नोटिस बोर्ड एवं विवरणिका सहित और उस संस्थान की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
3. रजिष्ट्री में कोई भी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथा स्थिति प्राधिकारी, कर्मचारी,प्रभारी,लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति को सूचित करेगा। और तुरन्त उस आवेदन की एक प्रति संस्थान को उपलब्ध करायेगा ताकि 7 दिनों के भीतर इसका उत्तर दिया जा सके।

क.प.उ

4. लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति यथा स्थिति इस शिकायत की सुनवाई की एक तिथि निर्धारित करेगी। जिसे यथोचित रूप से उस संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।
5. कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये,स्वयं ही पेश हो सकता है अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है।

तदानुसार मान.कुलपति जी के द्वारा अपके महाविद्यालय/अध्ययनशाला की अवस्थिति को दृष्टिगत करते हुए तथा यू.जी.सी. के नियमानुसार एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना है। गठित शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस हेतु आप अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला से वरिष्ठता के आधार तीन शिक्षकों के नाम तत्काल अधिष्ठाता,छात्रकल्याण विभाग को भेजे,ताकि मान्नीय कुलपतिजी के द्वारा शिकायत निवारण समिति का गठन नियमानुसार किया जा सके।

उसी प्रकार समस्त महाविद्यालय/अध्ययनशाला को संस्थान स्तर पर एक रजिस्ट्री स्थापित करना होगा जहॉ पर कोई भी दुखी छात्र अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिये आवेदन कर सकता है। उस रजिद्री का नेतृत्व आपके शिक्षण संस्थान में कार्यरत उचित श्रेणी वाला कर्मचारी करेगा । उस रजिष्ट्री कर्मचारी की नियुक्ति नियमानुसार मान्नीय लोकपाल द्वारा की जानी है। अतः इस हेतु आपने संस्थान से एक वरिष्ठ कर्मचारी का नाम तत्काल भेजें,ताकि नियमानुसार रजिष्ट्री कर्मचारी की नियुक्ति तत्काल की जा सके।

भवदीय,

संलग्नकः– म.प्र.शा.से प्राप्त नियमकी छायाप्रति।

कुलसचिव

पृष्ठां.क्रमांक.संविक/शिकायतनिवारण समिति/2018–19/1542 दिनांकः 07/08/18

प्रतिलिपिः–

1. प्रो.रजनीश जैन,सचिव,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,बहादुरशाह जफ़र मार्ग,नई दिल्ली–11,00,02।
2. श्री बी.आर.नायडू,अपर सचिव, म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक,इन्दौर संभाग,शा.स्नात.कन्या मा.विद्यालय मोती तबेला,इन्दौर।
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर
5. वित्त अधिकारी,लेखा विभाग,दे.अ.विश्वविद्यालय,इन्दौर।
6. उप कुलसचिव,भण्डार विभाग,दे.अ.विश्वविद्यालय,इन्दौर।
7. हेड,आई.टी. सेन्टर, वि.वि.बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता,(छात्र कल्याण)